राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5689/2022

माया छीपा —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, जयपुर।
4. राजेन्द्र प्रसाद, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, छितौली, विराट नगर, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.10.2022
आदेश की दिनांक : 05.12.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
निजी प्रत्यर्थी की ओर से : श्री रामेश्वर गुर्जर, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अभिभाषक

समक्षः– मातादीन शर्मा, सदस्य
एम.एस.काला, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई थी।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, चौडा रास्ता, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 10.10.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा बिना रिक्त पद के निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, छितौली, विराटनगर, जयपुर से अपीलार्थी के वर्तमान पदस्थापन स्थान पर समंजित (Accommodate) किया गया तथा प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.10.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, छितौली, जयपुर 80 कि.मी. दूर किया गया। निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 का वर्तमान में दिनांक 07.08.2022 को ही स्वयं की प्रार्थना पत्र भरतपुर से छितौली, विराटनगर, जयपुर में स्थानान्तरण किया गया था परन्तु दो माह की अल्पावधि में ही निजी प्रत्यर्थी को वापस स्वयं की इच्छा पर इच्छित स्थान पर बिना रिक्त पद के आलोच्य आदेश दिनांक 10.10.2022 से पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा माननीय अधिकरण द्वारा 1873/2022 अशोक कुमार माहेश्वरी बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 20.07.2022 एवं अपील संख्या 2559/2018 ओमप्रकाश वर्मा बनाम माध्यमिक

शिक्षा में पारित आदेश दिनांक 23.08.2018 का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान तथ्यों पर आधारित बताया है। अपीलार्थी का पति राजकीय सेवा मे पशुपालन विभाग में कार्यरत है (अनुलग्नक–6) तथा राज्य सरकार की नीति रही है कि यदि पति–पत्नी दोनों राजकीय सेवा में हो तो उन्हें एक ही स्थान या आस–पास नियुक्त किया जावे। अपीलार्थी की सास 66 वर्ष की वृद्ध विधवा महिला है तथा वह गुर्दा रोग से पीडित है जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी अपीलार्थी की ही है। अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 10.10.2022 (अनुलग्नक–1) व 13.10.2022 (अनुलग्नक–2) को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को निरंतर प्रधानाचार्य के पद पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, चौडा रास्ता, जयपुर में कार्य करने दिया जावे तथा वेतन एवं समस्त पारिणामिक लाभ दिए जावे। इस संबंध में सुनवाई की जाकर अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 28.10.2022 के द्वारा आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 13.10.2022 के संबंध में स्थगन आदेश जारी किया गया कि ''अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आदेश दिनांक 10.10.2022 (अनुलग्नक–1) में निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित किया गया है। जबकि निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 07.08.2022 (अनुलग्नक–3) के द्वारा भरतपुर से छितौली, जयपुर किया गया था और दिनांक 10.08.2022 को उसने कार्यग्रहण किया। परंतु अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से आदेश दिनांक 10.08.2022 के द्वारा उसे स्वयं की प्रार्थना पर अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया जबकि अपीलार्थी पूर्व से ही प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत थी और आदेश दिनांक 13.10.2022 के द्वारा उसे समंजित करने के आशय से अपीलार्थी को निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के स्थान पर छितौली, जयपुर स्थानान्तरित कर दिया गया, जो अनुचित एवं अवैध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य आदेश को अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित करते हुए प्रत्यर्थीगण को नोटिसेज जारी किए जावे। यह प्रश्न विचारणीय है। अतः अपील ग्राह्य की जाती है। स्थगन प्रार्थना पत्र पर अन्तरिम आदेश दिया जाता है कि विवादग्रस्त स्थानान्तरण आदेश दिनांक 10.10.2022 एवं आदेश दिनांक 13.10.2022 (अनुलग्नक–1 एवं 2) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी के पदस्थापन के सम्बन्ध में अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित रहेगा, साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावें, जहां पर वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।''

निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा हस्तगत अपील को अस्वीकार कर खारिज करने हेतु दिनांक 07.11.2022 को जवाब अपील प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थान पर सितम्बर, 2019 से पदस्थापित है। इससे पूर्व अपीलार्थी राजकीय विद्यालय, गणगौरी बाजार, जयपुर में पदस्थापित था तथा काफी लम्बे समय से जयपुर जिले में ही पदस्थापित है। निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 की जन्म दिनांक 07.04.1964 (अनुलग्नक–आर/4/1) है, जो दिनांक 30.04.2024 को 18 माह बाद सेवानिवृत्त हो रहा

है। निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 की पत्नी भी अध्यापक ग्रेड–ाा के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ताला, जमवारामगढ़, जयपुर में पदस्थापित है (अनुलग्नक आर/4/2)। आलोच्य आदेश दिनांक 10.10.2022 की अनुपालना में निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 द्वारा दिनांक 12.10.2022 को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, चौडा रास्ता, जयपुर में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इसलिए हस्तगत अपील को खारिज किया जावे। निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 द्वारा हस्तगत अपील में दिनांक 28.10.2022 को दिए गए अंतरिम स्थगन आदेश को समाप्त (Vacate) करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसके संबंध में भी उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 10.10.2022 तथा 13.10.2022 के संबंध में अनुतोष चाहा है। अपीलार्थी को सुना जाकर उक्त आलोच्य आदेशों के संबंध में अधिकरण के आदेश दिनांक 28.10.2022 से एक पक्षीय स्थगन आदेश जारी किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह सामने आता है कि पहले प्रत्यर्थी संख्या–4 का आदेश दिनांक 10.10.2022 (अनुलग्नक–1) से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, छितौली, विराटनगर, जयपुर से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, चौडा रास्ता, जयपुर में स्थानान्तरण किया गया। तत्पश्चात अपीलार्थी का आदेश दिनांक 13.10.2022 (अनुलग्नक–2) से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, चौडा रास्ता, जयपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, छितौली, विराटनगर, जयपुर में स्थानान्तरण किया गया। उक्त आदेश दिनांक 10.10.2022 में प्रत्यर्थी संख्या–4 को टीए/डीए नहीं दिए जाने मात्र से उक्त आदेश दोष पूर्ण नहीं हो जाता। प्रत्यर्थी संख्या–4 द्वारा उक्त आदेश की पालना में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, चौडा रास्ता, जयपुर में कार्यभार ग्रहण कर लिया है तथा प्रत्यर्थी संख्या–4 की सेवानिवृत्ति में 18 माह शेष रह गए है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डॉ. पुष्पा मेहता बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश में भी सेवानिवृत्ति में दो वर्ष के भीतर स्थानान्तरण नहीं किए जाने के निर्देश दिए गए है। अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 13.10.2022 (अनुलग्नक–2) से स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से मानते हुए टीए/डीए प्रदान किया गया है तथा स्थानान्तरण जयपुर जिले में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया गया है। हस्तगत प्रकरण में सुविधा का संतुलन प्रत्यर्थी संख्या–4 के पक्ष में गुरूत्तर है। अतः प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते स्थगन समाप्ति (Stay vacation) स्वीकार किया जाता है तथा अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के पारित स्थगन आदेश दिनांक 28.10.2022 को समाप्त (Vacate) किया जाता है तथा उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज योग्य होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक.....को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(एम.एस.काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य